कार्यालय : बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति, समस्तीपुर ।

निविदा आमंत्रण सूचना

निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना, बिहार पटना के विभिन्न पत्रों यथा– पत्रांक 5068, दिनांक 25.04.2011, पत्रांक 5291, दिनांक 14.06.2011, पत्रांक 366 दिनांक 19.03.2012, पत्रांक 1330 दिनांक 17.08.2012, पत्रांक 1366 दिनांक 28.08.2012, पत्रांक 1430 दिनांक 13.09.2012 में निहित निर्देश के आलोक में मध्याह्न भोजन के खाद्यान का उठाव एवं वितरण हेतु समस्तीपुर जिला अन्तर्गत सभी बीस (20) प्रखण्ड में संवेदक के रूप में चयन हेतु इच्छुक आवेदकों से निम्नलिखित शर्तो पर मुहरबन्द निविदा निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से कार्यालय, बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति, समस्तीपुर, श्री कृष्णापुरी, काशीपुर, समस्तीपुर–848101 के पते पर निविदा प्रकाशन तिथि के 10 वें दिन अपराह्न 5:00 बजे तक आमंत्रित किया जाता है तथा निविदा प्रकाशन के 17 वें दिन पूर्वाह्न 11:00 बजे समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में प्राप्त निविदा आवेदक अथवा उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोली जाएगी। लिफाफा के उपर आवेदित प्रखण्ड का नाम जिसके लिए निविदा डाला गया है तथा मोबाईल संख्या स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। कोई भी चयनित जन प्रतिनिधि एवं जन वितरण प्रणाली के डीलर संवेदक के रूप में चयनित नहीं किए जाएगें। एक लिफाफा में एक ही प्रखण्ड के लिए निविदा देना होगा।

1. प्रखण्ड– मोहनपुर, पूसा, बिथान एवं विद्यापतिनगर, हेतु 5 (पांच) ट्रक/ट्रेक्टर एवं शेष प्रखण्डों हेतु 8 (आठ) ट्रैक्टर/ट्रक मालिकों का लिखित एकरारनामा मूल रूप में आवेदन के साथ जमा करना होगा। चयन होने की स्थिति में वे वाहन मालिक अपने ट्रेक्टर/ट्रक को उस प्रखण्ड में मध्याह्न भोजन योजना के खाद्यान के उठाव हेतु आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराएगें । सभी वाहनों का पंजियन व्यवसायिक श्रेणी में ट्रॉली सहित (ट्रेक्टर के संदर्भ में) आवश्यक है। वाहनों का टैक्स टोकन एवं बीमा अद्यतन होने के साथ–साथ प्रदुषण प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। निजी वाहन वाले को प्राथमिकता दी जाएगी।
2. प्रत्येक प्रखण्ड के लिए निविदादाता को 50,000/– (पचास हजार रू0) का बैक गारंटी जिला प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, समस्तीपुर के पक्ष में जमा करना होगा ।
3. निविदादाता को अनुमण्डल पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र जो तीन माह के अन्दर निर्गत हो मूल रूप में समर्पित करना अनिवार्य होंगा ।
4. निविदादाता को 10,000/– (दस हजार रू0) अग्रिम सुरक्षित जमा राशि बैक ड्राफ्ट के रूप में बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति, समस्तीपुर के नाम से जमा करना होगा जो, सेवा जारी रहने तक मध्याह्न भोजन योजना कार्यालय, समस्तीपुर में जमा रहेगा ।
5. समय पर कार्य करने में असफल होने अथवा असंतोषजनक कार्य पर चयनित संवेदक की सुरक्षित जमा राशि जप्त कर ली जाएगी ।
6. जिला पदाधिकारी द्वारा निर्गत SIO के आधार पर प्रखण्ड साधनसेवी एवं संवेदक दोनो अपने संयुक्त हस्ताक्षर से राज्य खाद्य निगम के गोदाम से मध्याह्न भोजन योजना के लिए खाद्यान का उठाव करेंगे। मात्रा तथा गुणवत्ता के लिए प्रखण्ड साधनसेवी एवं संवेदक संयुक्त रूप से जिम्मेवार होंगे। राज्य खाद्य निगम के गोदाम से चावल निर्धारित मात्रा में उठाव कर विद्यालय के स्टोर तक पहुँचाने की जिम्मेवारी संवेदक की होगी । इसमें प्रयुक्त होने वाले वाहन, ईधन, लगने वाली मजदूरी, हथालन व्यय आदि सभी प्रकार की व्यवस्था संवेदक द्वारा की जाएगी । उठाव किए गए खाद्यान का वितरण उसी दिन संध्या तक करना अनिवार्य होगा। वितरण सूची का सत्यापन प्रखण्ड साधनसेवी द्वारा किया जाएगा। जिला प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना प्रखण्ड के विद्यालयों में खाद्यान्न की प्राप्ति सूची से संतुष्ट होने व बेव अप्लिकेशन से सत्यापन करने के उपरान्त परिवहन–सह–हथालन मद में 40/– (चालीस) रू0 प्रति क्विंटल की दर से संवेदक को राशि का भुगतान किया जाएगा।
7. राज्य खाद्य निगम के गोदाम से विद्यालय तक खाद्यान पहुँचाने के दौरान दुर्घटना या अन्य किसी कारणवश खाद्यान के बर्वाद होने या चोरी होने की जिम्मेवारी संवेदक की होगी तथा बाजार दर पर खाद्यान की क्षतिपूर्ति राशि संवेदक से वसूल की जाएगी।

8. एकरारनामा वित्तीय वर्ष हेतु 2014–15 (दिनांक 31.03.2015 तक) के लिए किया जाएगा। संवेदक के असफल होने या असंतोषजनक कार्य करने की स्थिति में एकरारनामा समय से पूर्व भी रद्द किया जा सकता है। उठाव एवं वितरण में लापरवाही अथवा निष्कृयता बरतने पर संवेदक पर आर्थिक दण्ड लगाया जा सकता है।
9. निविदादाता को निविदा के साथ पैन कार्ड की अभिप्रमाणित छाया प्रति तथा वर्तमान का दो रंगीन फोटोग्राफ एवं बायो डाटा संलग्न करना अनिवार्य होगा।
10. एक निविदांदाता को एक ही प्रखण्ड आवंटित होगा। यदि किसी प्रखण्ड हेतु एक से अधिक निविदा दाता आहर्ता पूरी करेंगे तो अध्यक्ष महोदय के निर्णयानुसार संवेदक का चयन किया जाएगा।
11. इस प्रसंग में कोई अन्य जानकरी प्राप्त करने के लिए जिला मध्याह्न भोजन योजना समस्तीपुर के कार्यालय अथवा दुरभाष संख्या 06274–226970 पर कार्यालय अवधि में संपर्क किया जा सकता है।
12. निविदा को बिना कारण बताए स्वीकृत या अस्वीकृत करने का सर्वाधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
13. चयनित संवेदक जिला प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, समस्तीपुर के साथ एकरारनामा करेंगे, जिसमें सभी अनुमान्य शर्तो के अनुरूप आवश्यक कागजात संलग्न करने की अनिवार्यता होगी।

19/06/14

जिला पदाधिकारी–सह–
अध्यक्ष, जिला चयन समिति,
मध्याह्न भोजन योजना समिति, समस्तीपुर।